

2019/00303

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 334/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि0 (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि0) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,
गोविन्द मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजु लाल बैरागी पुत्र श्री भूरा लाल बैरागी
2. श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री राजु लाल बैरागी
निवासी:- प्लाट नं. 28, श्याम विहार विस्तार, भोज्यावाला, भांकरोटा, जिला जयपुर।
प्लाट नं. 82, रिद्धी सिद्धी नगर, अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्री महेन्द्र धाकड़ पुत्र श्री बजरंग लाल धाकड़
निवासी:- प्लाट नम्बर 70, पार्श्वनाथ एनक्लेव विस्तार, ब्लॉक-सी, ग्राम बास बिलवा,
सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act.2002.



उपस्थित:-श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 4-11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.06.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में (1) प्लाट नं. 28, श्याम विहार विस्तार, भोज्यावाला, भांकरोटा, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 100 वर्गगज अप्रार्थी श्री राजु लाल बैरागी पुत्र श्री भूरा लाल बैरागी के नाम पर है (2) प्लाट नं. 82, रिद्धी सिद्धी नगर, अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज अप्रार्थी श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री राजु लाल बैरागी के नाम पर स्थित सम्पत्ति को बन्धक रख कर 4,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ऋण भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्यायहित में अप्रार्थी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.06.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। जिसकी अप्रार्थी ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक में (1) प्लॉट नं. 28, श्याम विहार विस्तार, भोज्यावाला, भांकरोटा, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 100 वर्गगज अप्रार्थी श्री राजु लाल बैरागी पुत्र श्री भूरा लाल बैरागी के नाम पर है (2) प्लॉट नं. 82, रिद्धी सिद्धी नगर, अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज अप्रार्थी श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री राजु लाल बैरागी के नाम पर स्थित सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।
7. आदेश आज दिनांक 4-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर